शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar

Dharampura-2, Jagdalpur, Distt.-Bastar, Chhattisgarh, India, Pincode 494001

Telephone 07782-229037, 229213 Website: www.smkvbastar.ac.in

क्रमांक /1049/ 219 / सा.प्रशा. / स्थापना / 2024 जगदलपुर, दिनांक 13 / 02 / 2024

–:: सूचना ::–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक 59 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन / भर्ती सूचना No./751/219/Admin./Estt./RR/TP/SMKV/01/2023 Jagdalpur, Dated 05-10-2023 के संबंध में निर्धारित तिथि दिनांक 06.10.2023 से दिनांक 14.10.2023 तक प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति से कराया गया है। दावा आपत्ति निराकरण समिति का प्रतिवेदन सर्वसाधारण के सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.smkvbastar.ac.in पर इस सूचना के साथ अपलोड किया गया है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

जगदलपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /1050/ 219 / सा.प्रशा. / स्थापना / 2024 जगदलपुर, दिनांक 13 / 02 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय कुलपति महोदय, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कक्ष अधिकारी एवं वेबसाईट प्रभारी, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. संबंधित नस्ती।

13.02.2024

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

जगदलपुर (छ.ग.)

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर

धरमपुरा–2, जगदलपुर, जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़, भारत पिनकोड 494001

–:: दावा आपत्ति निराकरण प्रतिवेदन ::–

शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक 59 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन/भर्ती सूचना No./751/219/Admin./Estt./RR/TP/SMKV/01/2023 Jagdalpur, Dated 05.10.2023 के संबंध में विज्ञापन में निर्धारित तिथि दिनांक 06.10.2023 से 14.10.2023 तक ई–मेल आई.डी. vcbastaruniversity@gmail.com पर प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति के निराकरण संबंधी जानकारी समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

क्रमांक	दावा आपत्ति करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता	दावा आपत्ति प्राप्त होने की तिथि एवं समय	प्राप्त दावा आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	दावा आपत्ति का निराकरण
1	श्री पेशीराम डड़सेना (जायसवाल) चांटीडीह, बिलासपुर (छ.ग.)	10-10-2023 07.48 P.M.	1. छ.ग. राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विज्ञापित पदों हेतु आयु सीमा में छूट और पदवार अधिकतम आयु सीमा का स्पष्ट उल्लेख विज्ञापन में नहीं है। 2. सेटअप स्वीकृति संबंधी पत्र, भर्ती की अनुमति संबंधी पत्र, कार्यपरिषद की 49वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 की प्रति विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड नहीं किया गया है। 3. विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड किये गये आरक्षण रोस्टर (दिनांक 04.10.2023 की स्थिति में) एवं जारी किये गये विज्ञापन में विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक विभागों एवं पदों के सेटअप अनुसार पदवार आरक्षण रोस्टर नहीं है। 4. विश्वविद्यालय में स्वीकृत शैक्षणिक विभागों एवं पदों के सेटअप के अनुसार विभागों को अल्फाबेट क्रम में नहीं रखा गया है तथा मानव विज्ञान	1. दावा आपत्ति के बिंदु 1 के संबंध में – शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर में रिक्त शैक्षणिक 59 पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन/भर्ती सूचना दिनांक 05.10.2023 के संबंध में सामान्य सूचना एवं निर्देश के बिंदु 29 में छ.ग. राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में छूट छ.ग. शासन के अद्यतन नियम/आदेश/परिपत्र के अनुसार होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। 2. दावा आपत्ति के बिंदु 2 के संबंध में – दावा आपत्ति जारी किये गये विज्ञापन एवं आरक्षण रोस्टर पर मांगी गई है, और इसी क्रम में यह दोनों अभिलेख विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर दिनांक 05.10.2023 को अपलोड किये गये हैं। विश्वविद्यालय के सेटअप संबंधित अभिलेख विश्वविद्यालय के पत्रावलियों में उपलब्ध हैं। जिनके आधार पर आरक्षण रोस्टर एवं विज्ञापन आदि का निर्माण किया जाता है। आपत्ति रोस्टर एवं विज्ञापन से आच्छादित नहीं है। 3. दावा आपत्ति के बिंदु 3, 4, 5 के संबंध में – छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 24.12.2019 में दिये गये निर्देश एवं संलग्न किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 07.03.2019 के साथ प्राप्त भारत का राजपत्र दिनांक 07.03.2019 के अनुसार तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक

18 OCT 2023

			तथा जनजातीय अध्ययन विषय/विभाग में प्राध्यापक का पद अनारक्षित होने के स्थान पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित किया गया है। 5. व्यावसायिक प्रबंधन विभाग में सहायक प्राध्यापक पद के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया है तथा केवल एक ही पद अनारक्षित दर्शाया गया है। 6. विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों एवं अतिथि व्याख्याताओं को उनके शैक्षणिक कार्य एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये चयन में प्राथमिकता/वरीयता देने के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान विज्ञापन में नहीं किया गया है।	17.07.2020 में दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन "शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विभागों/अध्ययनशालाओं हेतु क्रम निर्धारण संबंधी कोई नियमावली नहीं है" प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय की आरक्षण रोस्टर समिति के द्वारा विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर तैयार रोस्टर पर माननीय कार्यपरिषद की 49वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत सेटअप संबंधी आदेश की तिथि एवं आदेश में स्वीकृत शैक्षणिक विभागों के क्रम को बनाये रखते हुये स्वीकृत पदों को बढ़ते हुये क्रम में छ.ग. शासन द्वारा निर्गत रोस्टर संबंधी आदेश दिनांक 04.12.2012 एवं अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 के अनुसार रोस्टर बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित आरक्षण पदवार निर्धारित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत रोस्टर एवं विज्ञापन संबंधी सूचना माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 05.10.2023 को प्रकाशित किया गया है। 4. दावा आपत्ति के बिंदु 6 के संबंध में – विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 के सामान्य सूचना एवं निर्देश के बिंदु 15 में विज्ञापित पदों के संबंध में न्यूनतम अर्हता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं। न्यूनतम अर्हता रखने/पूर्ण करने पर आवेदक निर्धारित तिथि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय में कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों एवं अतिथि व्याख्याताओं को उनके शैक्षणिक कार्य एवं अनुभव को दृष्टिगत रखते हुये चयन में प्राथमिकता/वरीयता देने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2018 (अद्यतन संशोधन सहित) एवं अन्य नियमों/विनियमों में यह प्रावधान नहीं है।
2.	शुभांकर	12-10-2023 09.45 P.M.	1. एम.कॉम. उपाधि धारक एवं वाणिज्य में नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर व्यावसायिक प्रबंधन में सहायक प्राध्यापक पद हेतु पात्रता के संबंध में।	1. विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 के सामान्य सूचना एवं निर्देश के बिंदु 15 एवं अन्य संबंधित न्यूनतम अर्हता संबंधी प्रावधान स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं। न्यूनतम अर्हता रखने/पूर्ण करने पर आवेदक निर्धारित तिथि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

18 OCT 2023

3.	देवश्री भोयर गुढ़ियारी, जनता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	13-10-2023 07.24 P.M.	1. दिव्यांगों को शासन के निर्देशानुसार सभी वर्गों के लिये एक–एक पद विज्ञापित किया जाना चाहिए तथा दिव्यांगों के लिये राजनीति के लिये पद विज्ञापित नहीं किया गया है।	1. विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05.03.2019 में दिव्यांगजनों के लिये निर्धारित आरक्षण संबंधी प्रावधान के अनुसार पदवार दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उपयुक्तता के आधार पर निर्धारित किया गया है।
4.	डॉ. सियालाल नाग, कालीपुर, तितिरगांव, जगदलपुर (छ.ग.)	14-10-2023 12.46 P.M.	1. राजनीति विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये पद आरक्षित नहीं किया गया है।	1. विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2018 में शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में विज्ञापित पदों का आधार रोस्टर विश्वविद्यालय में विभागवार तैयार किया गया है, परंतु उक्त विज्ञापन के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई। 2. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 24.12.2019 में दिये गये निर्देश एवं संलग्न किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 07.03.2019 के साथ प्राप्त भारत का राजपत्र दिनांक 07.03.2019 के अनुसार तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 17.07.2020 में दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन "शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विभागों/अध्ययनशालाओं हेतु क्रम निर्धारण संबंधी कोई नियमावली नहीं है" प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय की आरक्षण रोस्टर समिति के द्वारा विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर तैयार रोस्टर पर माननीय कार्यपरिषद की 49वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत सेटअप संबंधी आदेश की तिथि एवं आदेश में स्वीकृत शैक्षणिक विभागों के क्रम को बनाये रखते हुये स्वीकृत पदों को बढ़ते हुये क्रम में छ.ग. शासन द्वारा निर्गत रोस्टर संबंधी आदेश दिनांक 04.12.2012 एवं अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 के अनुसार रोस्टर बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित आरक्षण पदवार निर्धारित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत रोस्टर एवं विज्ञापन संबंधी सूचना माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 05.10.2023 को प्रकाशित किया गया है।

18 OCT 2023

				3. विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 में राजनीति विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक पद हेतु 2 पद अनारक्षित हैं। अतः न्यूनतम अर्हता रखने/पूर्ण करने पर आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने की स्थिति में अनारक्षित पद पर निर्धारित तिथि के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
5.	डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सह प्राध्यापक, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)	1. 14-10-2023 04.36 P.M. 2. 14-10-2023 04.39 P.M. 3. 14-10-2023 04.49 P.M.	1. शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिये जारी विज्ञापन में विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला/विभागों के क्रम का उचित पालन नहीं किया गया है। 2. मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन तथा फारेस्ट्री विभाग के प्रारंभ होने के बाद अस्तित्व में आने वाले रूरल टेक्नॉलाजी विभाग को प्रथम स्थान नहीं दिया जा सकता है। 3. विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला/शैक्षणिक विभागों की वरियता स्थापना वर्ष अथवा आंग्ल भाषा अथवा हिन्दी के वर्णमाला के आधार पर करने तथा शैक्षणिक पदों से संबंधित रोस्टर को संशोधित कर रूरल टेक्नॉलाजी को तृतीय क्रम पर रखा जाये। 4. मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन विषय के पद प्रोफेसर को अनारक्षित वर्ग में रखा जाये।	1. बिंदु 1 एवं 3 के संबंध में – छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 24.12.2019 में दिये गये निर्देश एवं संलग्न किये गये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र दिनांक 07.03.2019 के साथ प्राप्त भारत का राजपत्र दिनांक 07.03.2019 के अनुसार तथा छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 17.07.2020 में दिये गये निर्देश/मार्गदर्शन "शैक्षणिक पदों में सीधी भर्ती हेतु विभागों/अध्ययनशालाओं हेतु क्रम निर्धारण संबंधी कोई नियमावली नहीं है" प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय की आरक्षण रोस्टर समिति के द्वारा विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर तैयार रोस्टर पर माननीय कार्यपरिषद की 49वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय को स्वीकृत सेटअप संबंधी आदेश की तिथि एवं आदेश में स्वीकृत शैक्षणिक विभागों के क्रम को बनाये रखते हुये स्वीकृत पदों को बढ़ते हुये क्रम में छ.ग. शासन द्वारा निर्गत रोस्टर संबंधी आदेश दिनांक 04.12.2012 एवं अधिसूचना दिनांक 29.11.2012 के अनुसार रोस्टर बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित आरक्षण पदवार निर्धारित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत रोस्टर एवं विज्ञापन संबंधी सूचना माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् दिनांक 05.10.2023 को प्रकाशित किया गया है। 2. बिंदु 2 के संबंध में – रोस्टर में विभाग/अध्ययनशाला का क्रम छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सेटअप स्वीकृत करने की तिथि एवं आदेश में विभागों के क्रम पर आधारित है। अवगत कराना है कि यह क्रम विभाग/अध्ययनशाला के विश्वविद्यालय में प्रारंभ होने की तिथि पर आधारित नहीं है।

18 OCT 2023

				3. बिंदु 4 के संबंध में – इस आशय का शासनादेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध नहीं है एवं आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त आशय का कोई निर्देश अथवा शासनादेश संलग्न नहीं किया गया।
6.	क्षमारानी साहू दसपुर, जिला–उत्तर बस्तर, कांकेर	14-10-2023 05.29 P.M.	कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत होने के कारण कम्प्यूटर अनुप्रयोग अध्ययनशाला में सहायक प्राध्यापक के नियमित पद में प्राथमिकता देते हुये नियुक्ति प्रदान किया जाये।	1. विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं को प्राथमिकता देते हुये रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने का विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम आदि में प्रावधान नहीं है।
7.	डॉ. विवेक शर्मा सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	14-10-2023 10.49 P.M.	व्यावसायिक प्रबंध विषय में सह प्राध्यापक पद हेतु आवश्यक अनुभव के अंतर्गत सहायक प्राध्यापक (तदर्थ) के अनुभव को शामिल करने के संबंध में मार्गदर्शन किया जाये।	1. विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 के सामान्य सूचना एवं निर्देश में विज्ञापित पदों के संबंध में न्यूनतम अर्हता, अनुभव आदि के संबंध में प्रावधान उल्लेखित हैं। न्यूनतम अर्हता रखने/पूर्ण करने पर आवेदक निर्धारित तिथि में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
8.	डॉ. विवेक शर्मा सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	1. 14-10-2023 11.00 P.M. 2. 14-10-2023 11.20 P.M.	व्यावसायिक प्रबंध विषय में सह प्राध्यापक पद हेतु वाणिज्य विषय में उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन को शामिल कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शन किया जाये।	1. विज्ञापन दिनांक 05.10.2023 के सामान्य सूचना एवं निर्देश में विज्ञापित पदों के संबंध में न्यूनतम अर्हता आदि के संबंध में उल्लेखित प्रावधान का अवलोकन करें।

18 OCT 2023

श्री देव चरण गावड़े, सहायक कुलसचिव	श्री प्रशांत कुमार खापर्डे, वित्त अधिकारी	श्री केदार पटेल, रोजगार अधिकारी	श्री अभिषेक कुमार बाजपेई, कुलसचिव	डॉ. शरद नेमा, प्राध्यापक